<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003082011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—346/11</u> संस्थापित दिनांक—11.08.11

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 13.04.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 452, 294, 323, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। 02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 294, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34, 452 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी मुन्नीबाई ने दिनांक 13.02.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक से तीन साल पहले की रंजिश को लेकर गुलाबसिंह, सुषमाबाई, राजकुमारी तीनों लोग उसके कमरा में आए और उसके बच्चे देवेंद्र के साथ धक्का मुक्की कर गालियां देकर कह रहे थे तेरे बाप मेहताई बलात्कार में राजीनामा नहीं करेंगे तो ऐसे ही मारपीट करेंगे। जब उसने देवेंद्र को बचाया तो गुलाबसिंह ने फर्सा मारा जिससे उसे चोट आई एवं खून निकला एवं फर्सा की लाठी से पैर में मारा जिससे मुंदी चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/11 के अंतर्गत भादिव की धारा 452, 294, 323, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323/34, 452, 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 13.02.11 को समय 10 बजे फरियादी मुन्नीबाई के मकान ग्राम नावनी में फरियादी को उपहित करने के आशय से उसके घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मुन्नीबाई को धारदार फरसा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 वीरेंद्र प्रजापति, अ.सा. 02 मुन्नीबाई, अ.सा. 03 देवेंद्र प्रजापति, अ.सा. 04 डॉ सिद्धार्थ, अ.सा. 05 लाला, अ.सा. 06 पग्गो, अ.सा. 07 सालिकराम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 02 मुन्नीबार्ठ ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त घटना दिनांक को गुलाबिसंह उसके लड़के देवेंद्र को मारने आया था तथा गुलाबिसंह ने घर पर उसके बच्चे के साथ मारपीट की थी। अ.सा. 02 के अनुसार गुलाबिसंह ने फर्सा मारा था जो कि उसके बांए हाथ पर लगा था जिससे उसे चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार राजकुमारी व सुषमाबाई ने भी थप्पड से मारा था और फिर उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 02 लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी गुलाबिसंह ने उसके पित के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिस पर प्रकरण चल रहा है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया है कि आरोपी गुलाबिसंह ने उसके घर आकर चेंटा चाटी की थी और उसे फरसे से मारा था और जिस समय उसे फरसे से मारा था उस समय गुलाबिसंह अकेला था। अ.सा. 03 देवेंद्र ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर पर

बैठा था तब आरोपीगण ने मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार गुलाबसिंह ने उसकी मां को फरसा मारा था जिससे उन्हें चोटें आई थीं। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उनकी बुराई चल रही है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि गुलाबसिंह की रिपोर्ट पर से उसके विरुद्ध प्रकरण चल रहा है।

09— अ.सा. 01 वीरेंद्र पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 05 लाला एवं अ.सा. 06 पग्गो भी पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा भी घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया गया है। उक्त साक्षीगण के अनुसार उन्होंने पुलिस कथन भी नहीं किया है। अ.सा. 04 डॉ सिद्धार्थ ने जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 13.02. 11 को आहत मुन्नीबाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 04 है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आहत को चोट उक्त दिनांक को आई थी। अ.सा. 07 सालिकराम जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 07 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है।

10— प्रकरण में अ.सा. 01, अ.सा. 05 एवं अ.सा. 06 द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 प्रकरण में न केवल आहत हैं, बल्कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी भी हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों साक्षीगण ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी गुलाबसिंह द्वारा फरियादिया मुन्नीबाई को फरसे से मारा था जिससे उसे उपहित कारित हुई थी। उल्लेखनीय है कि दोनों साक्षीगण ने अपने कथनों में बताया है कि आरोपी गुलाबसिंह ने फरियादिया मुन्नीबाई को घर में घुसकर उसे फरसे से मारा था। दोनों

साक्षीगण की साक्ष्य से यह भी प्रकट हो रहा है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पुरानी रंजिश है तथा आरोपीगण की रिपोर्ट पर से फरियादी पक्ष के विरुद्ध भी प्रकरण विचाराधीन है, किंतु अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी गुलाबसिंह द्वारा फरियादी मुन्नीबाई के साथ फरसे से मारपीट नहीं की गई।

- अ.सा. 02 मुन्नीबाई ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है 11-कि घटना दिनांक को आरोपी गुलाबसिंह ने जब उसे फरसा मारा तब वह अकेला था। इस प्रकार अन्य आरोपीगण द्वारा फरसा मारने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है। अ.सा. 03 की साक्ष्य में भी ऐसा कोई कथन अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी गुलाबसिंह के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण द्वारा भी फरसे से मारपीट की गई। प्रकरण में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आरोपी गुलाबसिंह के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण फरियादी के घर में उपहति कारित करने के आशय से घुसे थे। प्रकरण में जो साक्ष्य अभिलेख पर आई है उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी गुलाबसिंह द्वारा फरियादी के घर में उपहति कारित करने के आशय से गृह अतिचार कारित किया गया और साथ ही फरियादी मुन्नीबाई को फरसे जैसे धारदार हथियार से मारकर उपहति कारित की गई। प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि सुषमाबाई एवं राजकुमारी द्वारा उक्त घटना दिनांक को फरियादिया मुन्नीबाई के घर में गृह अतिचार कारित किया गया एवं उसे धारदार हथियार से मारकर उपहति कारित की गई।
- 12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी राजकुमारी एवं सुषमबाई के संबंध में प्रमाणित करने में असफल रहा है तथा आरोपी गुलाबिसंह के संबंध में प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी राजकुमारी एवं सुषमाबाई को भादिव की धारा 324/34, 452 के

आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी गुलाबसिंह को भादवि की धारा 324/34, 452 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13— आरोपी गुलाबसिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला–अशोकनगर

पुनश्च:-

- 14. आरोपी गुलाबसिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव जैन का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी गुलाबसिंह का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा महिला के साथ कारित किया गया है जो कि गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।
- 15. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि

किसी के द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी गुलाबसिंह को भा.द. वि. की धारा 324/34 के अपराध में तीन माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 452 के अपराध में तीन माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त दोनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

- 16. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 17. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
- 18. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 19. आरोपी गुलाबसिंह का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)